

12<sup>06</sup>/<sub>2020</sub> प्रार्थी के स्वयं के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली  
आज दिनांक 12.06.2020 को पेश हुई। वादी  
द्वारा स्वेच्छा से प्रकरण नहीं चलाने का कथन  
कहते हुए वाद विद्रो किये जाने की स्वीकृति चाही  
है। चूंकि वादी वाद को स्वेच्छा से आगे नहीं चलाना  
चाहता है। अतः वाद विद्रो करने की स्वीकृति  
प्रदान की जाकर वाद वादी खारिज किया  
जाता है। पत्रावली कैसलशुमार चैकर नम्बर  
से कम हो।

12.06.2020  
(सुरेश कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
दिवेंद्र (करोली)

एजेन्डरिफ

